UPUN010033382026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश उन्नाव।

सत्र परीक्षण सं0 646/2026
राज्य बनाम बृजेश आदि

अपराध सं0–457/2023
धारा 308,323,504,506 भा0दं0सं0
थाना–मौरावां जिला उन्नाव।

02.06.2026

पुकार करायी गयी। प्रार्थी बृजेश की ओर से प्रार्थना पत्र 8क बाबत उन्मोचन आरोप प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र 8क में प्रार्थी बृजेश का कथन है कि वह मुकदमा उपरोक्त में जमानत पर है। उसके विरूद्ध धारा 308 भा0दं0सं0 लगायी गयी है जबकि मेडिकल प्रपत्रों के अनुसार उस पर धारा 308 भा0दं0सं0 का केस नहीं बनता है। अतः प्रार्थी को उपरोक्त मामले में धारा 308 भा0दं0सं0 के आरोप से उन्मोचित किये जाने का अनुरोध किया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा मौखिक आपत्ति करते हुए कथन किया गया कि उक्त आरोप से उन्मोचित किये जाने का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अभियुक्त को धारा 308 भा0दं0सं0 के अपराध से उन्मोचित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

वादी किशोर द्वारा एफ0आई0आर0 में अभियुक्त बृजेश व उसके पिता वासुदेव को नामित कर यह कथन किया गया है कि वासुदेव ने उसके लड़के अनिल कुमार पर कुल्हाड़ी से वार किया तथा अभियुक्त बृजेश ने उसके लड़के को लाठी से पीटा जिससे उसे गंभीर चोटें आयीं। केस डायरी के पर्चा नं0 3 पर मजरूब अनिल की मेडिकल रिपोर्ट का विवरण अंकित है जिसमें 'हेड इंजरी' अंकित की गयी है। इसी पर्चे पर मजरूब अनिल के सी0टी0 स्कैन रिपोर्ट का विवरण अंकित है जिसके अनुसार 'नरम ऊतक खोपड़ी में चोटें मौजूद हैं। कोई अन्तर कपालीय असमान्यता नहीं देखी जाती है।'

पत्रावली पर उपलब्ध उक्त प्रपत्रों एवं तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए चोटहिल अनिल कुमार के सिर पर कोई गंभीर उपहति न होने के कारण मामले में धारा 308 भा0दं0सं0 का अपराध गठित नहीं होता है। अतः अभियुक्त बृजेश को धारा 308 भा0दं0सं0 के अपराध से उन्मोचित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्त बृजेश की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 8क उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। अभियुक्त बृजेश को मात्र धारा 308 भा0दं0सं0 के अपराध से उन्मोचित किया जाता है। शेष अपराध अर्न्तगत धारा 323,504,506 भा0दं0सं0 मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण पत्रावली विधिनुसार निस्तारण हेतु न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुरवा उन्नाव को प्रेषित हो तथा वाद वास्ते सुनवाई अग्रिम तिथि 16.06.2026 को पेश हो। अभियुक्त नियत तिथि को सम्बन्धित न्यायालय में उपस्थित हो।

सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।
02.06.2026

अजय

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.06.02 17:16:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Unnao.